2024 का विधेयक संख्यांक 4

बाल–विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

बाल–विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 3 का संशोधन।
4. धारा 18–क का अंतःस्थापन।
5. कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन।

बाल–विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू बाल–विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम संख्यांक 6) का संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बाल–विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

15 of 1872
3 of 1936
26 of 1937
43 of 1954
25 of 1955

(2) भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872; पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, 1936; मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम, 1937; विशेष विवाह अधिनियम, 1954; हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955; या विवाह के संबध में अपनाई जा रही किसी विधि या प्रथा या रूढ़ि या व्यवहार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के प्रतिकूल या उसके असंगत होते हुए भी यह हिमाचल प्रदेश के राज्य क्षेत्र में अधिवासित सभी व्यक्तियों पर लागू होगा।

(3) इस अधिनियम की यह धारा, धारा 2 के खण्ड (ii) और धारा 4 तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगी और शेष उपबन्ध उनके अधिनियमन की तारीख से दो वर्ष के समापन की तारीख से प्रवृत्त होंगे तथा इस अधिनियम के प्रारंभ के संबंध में ऐसे किसी उपबंध में किसी संदर्भ का अर्थ उस उपबंध के प्रवृत्त होने के संदर्भ में लगाया जाएगा।

धारा 2 का संशोधन।

2. बाल–विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 में,–

(i) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(क) "बालक" से, ऐसा पुरुष या नारी अभिप्रेत है, जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है,";

(ii) खण्ड (ख) में "दोनों पक्षकारों में से" शब्दों के पश्चात् ",पक्षकारों को शासित करने वाली किसी प्रथा या रूढ़ि या व्यवहार सहित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल या असंगत होते हुए भी," शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 3 का संशोधन।

3. "मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में,– "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 18–क का अंतःस्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 18–क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"**18–क. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.**–इस अधिनियम के उपबन्धों का, पक्षकारों को शासित करने वाली किसी प्रथा या रूढ़ि या व्यवहार सहित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल या असंगत होते हुए भी प्रभाव होगा।"।

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन।

5. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का उनमें वर्णित रीति में संशोधन किया जाएगा।

अनुसूची
(धारा 5 देखें)

क्रम संख्या	वर्ष	अधिनियम संख्या	संक्षिप्त नाम	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1872	15	भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872	धारा 60 के खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:– "(1) विवाह का आशय रखने वाले पुरूष और स्त्री की आयु इक्कीस वर्ष से कम नहीं होगी;";
2.	1936	3	पारसी विवाह और विवाह–विच्छेद अधिनियम, 1936	(क) धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) में "वह महिला है तो, अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है" शब्दों के स्थान पर "वह महिला है तो, इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है" शब्द रखे जाएंगे। (ख) द्वितीय अनुसूची में, "यदि विवाह के पक्षकार 21 वर्ष से कम आयु के हैं तो उनके पिता या संरक्षक के हस्ताक्षर" पद का लोप किया जाएगा।
3.	1954	43	विशेष विवाह अधिनियम, 1954	धारा 4 के खण्ड (ग) में "अठारह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "इक्कीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।
4.	1955	25	हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955	(क) धारा 5 के खण्ड (iii) में "अठारह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "इक्कीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे। (ख) धारा 13 की उप–धारा (2) के खण्ड (iv) में "अठारह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "इक्कीस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 को बाल विवाह अनुष्ठान सम्पन्न कराने और तत्संबद्ध या उसके आनुषंगिक मामलों को प्रतिषिद्ध करने के लिए उपबंधित करने हेतु अधिनियमित किया गया था। आधुनिक युग में महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं। तथापि, बाल विवाह न केवल उनके व्यवसाय की प्रगति में बल्कि उनके शारीरिक विकास में भी बाधक है। लैंगिक समानता और उच्चत्तर शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों के लिए उपबंध करने हेतु बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है। इस प्रकार, हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 और अन्य संबंधित अधिनियमों में संशोधन किया जाना तथा बालिकाओं के लिए विवाह हेतु न्यूनतम आयु को 21 वर्ष करना प्रस्तावित किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(डा0 (कर्नल) धनी राम शांडिल)
प्रभारी मंत्री।

शिमलाः
तारीखः ....., 2024

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

बाल–विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024

हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू बाल–विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम संख्यांक 6) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(डा0 (कर्नल) धनी राम शांडिल)
प्रभारी मंत्री।

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

शिमलाः

तारीखः ....., 2024

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले बाल–विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम संख्यांक 6) के उपबंधों के उद्धरण।

धाराएं:–

2. **परिभाषाएं**.–इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा न हो,–

(क) "बालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने, यदि पुरुष है तो, इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और यदि नारी है तो, अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;

(ख) "बाल–विवाह" से ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से कोई बालक है;

(ग) विवाह के संबंध में "बंधन में आने वाले पक्षकार" से पक्षकारों में से कोई भी ऐसा पक्षकार अभिप्रेत है जिसका विवाह उसके द्वारा अनुष्ठापित किया जाता है या किया जाने वाला है;

(घ) "बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी" के अन्तर्गत धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त "बाल–विवाह प्रतिषेध भी है;

(ङ) "जिला न्यायालय" से अभिप्रेत है ऐसे क्षेत्र में, जहां कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 3 के अधीन स्थापित कुटुंब न्यायालय विद्यमान है, ऐसा कुटुंब न्यायालय और किसी ऐसे क्षेत्र में जहां कुटुंब न्यायालय नहीं है, किंतु कोई नगर सिविल न्यायालय विद्यमान है वहां वह न्यायालय और किसी अन्य क्षेत्र में, आरंभिक अधिकारिता रखने वाला प्रधान सिविल न्यायालय और उसके अंतर्गत ऐसा कोई अन्य सिविल न्यायालय भी है जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे न्यायालय के रूप मे विनिर्दिष्ट करे जिसे ऐसे मामलों के संबंध में अधिकारिता है, जिनके बारे में इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई की जाती है;

(च) "अवयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के उपबंधों के अधीन यह माना जाता है कि उसने, वयस्कता प्राप्त नहीं की है।

3. बाल–विवाहों का, बंधन में आने वाले पक्षकार के, जो बालक है, विकल्प पर शून्यकरणीय होना–

(1) प्रत्येक बाल–विवाह जो चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात् अनुष्ठापित किया गया हो, विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार के, जो विवाह के समय बालक था, विकल्प पर शून्यकरणीय होगाः

परंतु किसी बाल–विवाह को अकृतता की डिक्री द्वारा बातिल करने के लिए, विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार द्वारा ही, जो विवाह के समय बालक था, जिला न्यायालय में अर्जी फाइल की जा सकेगी।

(2) यदि अर्जी फाइल किए जाने के समय, अर्जीदार अवयस्क है तो अर्जी उसके संरक्षक या वाद–मित्र के साथ–साथ बाल–विवाह प्रतिषेध अधिकारी की मार्फत की जा सकेगी।

(3) इस धारा के अधीन अर्जी किसी भी समय किंतु अर्जी फाइल करने वाले बालक के वयस्कता प्राप्त करने के दो वर्ष पूरे करने से पूर्व फाइल की जा सकेगी।

(4) इस धारा के अधीन अकृतता की डिक्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय, विवाह के दोनों पक्षकारों और उनके माता–पिता या उनके संरक्षकों को यह निदेश देते हुए आदेश करेगा कि वे, यथास्थिति, दूसरे पक्षकार, उसके माता–पिता या संरक्षक को विवाह के अवसर पर उसको दूसरे पक्षकार से प्राप्त धन, मूल्यवान वस्तुएं, आभूषण और अन्य उपहार या ऐसी मूल्यवान वस्तुओं, आभूषणों, अन्य उपहारों के मूल्य के बराबर रकम और धन लौटा दे:

परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध पक्षकारों को जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और यह कारण दर्शित करने के लिए कि ऐसा आदेश क्यों नहीं पारित किया जाए, सूचनाएं न दे दी गई हों।

भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872

60. भारतीय क्रिश्चियनों के विवाहों को प्रभावित करने की शर्तें.–प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाले (भारतीय) क्रिश्चियनों के बीच प्रत्येक विवाह, धारा 3 के अधीन अपेक्षित प्रारम्भिक

सूचना के बिना, इस भाग के अधीन उस दशा में प्रमाणित किया जाएगा जब निम्नलिलिखत शर्तें पूरी होती हों, न कि अन्यथाः–

(1) विवाह का आशय रखने वाले पुरुष की आयु इक्कीस वर्ष से कम नहीं होगी और विवाह का आशय रखने वाली स्त्री की आयु अठारह वर्ष से कम नहीं होगीः

पारसी विवाह और विवाह–विच्छेद अधिनियम, 1936

3. **पारसी विवाहों की विधिमान्यता के बारे में अपेक्षाएं**.–(1) कोई भी विवाह विधिमान्य नहीं होगा, यदि

(ग) किसी ऐसे पारसी की दशा में (चाहे ऐसे पारसी ने अपना धर्म या अधिवास बदला हो या नहीं) जिसने, यदि वह पुरुष है तो, इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और यदि वह महिला है तो, अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

द्वितीय अनुसूची
(धारा 6 देखिए)
विवाह का प्रमाणपत्र

विवाह की तारीख तथा स्थान।
पति तथा पत्नी के नाम।
विवाह के समय की स्थिति।
रैंक या वृत्ति।
आयु।
निवास।
पिता या संरक्षक के नाम।
रैंक या वृत्ति।
विवाह कराने वाले पुरोहित के हस्ताक्षर।
यदि विवाह के पक्षकार 21 वर्ष से कम आयु के हैं तो उनके पिता या संरक्षक के हस्ताक्षर।
सक्षियों के हस्ताक्षर।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954

4. **विशेष विवाहों के अनुष्ठापन संबंधी शर्तें**.—विवहों के अनुष्ठापन सम्बन्धी किसी अन्य ततसमय प्रवृत्त विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्हीं दो व्यक्तियों का इस अधिनियम के अधीन विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा यदि उस विवाह के समय निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात्:—

(ग) पुरुष ने इक्कीस वर्ष की आयु और स्त्री ने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है;

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

5. **हिन्दू विवाह के लिए शर्तें**.—दो हिन्दूओं के बीच विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएं अर्थात्:—

(iii) विवाह के समय वर ने इक्कीस वर्ष की आयु और वधू ने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो,

13. **विवाह—विच्छेद**.—

(2) पत्नीं विवाह—विच्छेद की डिक्री द्वारा अपने विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी उपस्थापित कर सकेगी—

(iv) कि उसका विवाह (चाहे विवाहोत्तर संभोग हुआ हो या नहीं) उसको पन्द्रह वर्ष की आयु हो जाने के पूर्व अनुष्ठापित किया गया था और उसने पन्द्रह वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किन्तु अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया है।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 4 OF 2024

THE PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2024

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2024

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title, application and commencement.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 3.
4. Insertion of section 18A.
5. Amendment of certain enactments.

Bill No. 4 of 2024

THE PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2024

A

BILL

to amend the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (Act No. 6 of 2007) in its application to the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows:—

Short title, application and commencement.

1. (1) This Act may be called the Prohibition of Child Marriage (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2024.

(2) It shall apply to all persons domiciled in the territory of the State of Himachal Pradesh notwithstanding anything contrary or inconsistent therewith contained in the Indian Christian Marriage Act, 1872; the Parsi Marriage and Divorce Act, 1936; the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937, the Special Marriage Act, 1954; the Hindu Marriage Act, 1955; or any other law or custom or usage or practice in relation to marriage, under any other law for the time being in force.

15 of 1872
3 of 1936
26 of 1937
43 of 1954
25 of 1955

(3) This section, clause (ii) of section 2 and section 4 shall come into force immediately and the remaining provisions shall come into force on the date of completion of two years from the date of its enactment and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (hereinafter referred to as the "principal Act"),-

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) "child" means a male or female who has not completed twenty-one years of age;"; and

(ii) in clause (b), after the words "is a child", the words "notwithstanding anything to the contrary or inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force, including any custom or usage or practice governing the parties" shall be inserted.

Amendment of section 3.

3. In section 3 of the principle Act, in sub-section (3), for the words "two years", the words "five years" shall be substituted.

Insertion of section 18A.

4. After section 18 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"18A. Act to have overriding effect.- The provisions of this Act shall have effect, notwithstanding anything contrary or inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force, including any custom or usage or practice governing the parties.".

Amendment of certain enactments.

5. The enactments specified in THE SCHEDULE shall be amended in the manner mentioned therein.

THE SCHEDULE

(*See* section 5)

SI. No.	Year	Act No.	Short title	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1872	15	The Indian Christian Marriage Act, 1872	In section 60, for clause *(1)*, the following clause shall be substituted, namely:- "*(1)* the age of the man and woman intending to be married shall not be under twenty-one years;".
2.	1936	3	The Parsi Marriage and Divorce Act, 1936	*(a)* in section 3, in sub-section *(1)*, in clause *(c)*, for the words "female, has not completed eighteen years of age", the words "female, has not completed twenty-one years of age" shall be substituted. *(b)* in Schedule II, the expression "Signatures of the fathers or guardians of the contracting parties under 21 years of age" shall be omitted.
3.	1954	43	The Special Marriage Act, 1954	In section 4, in clause *(c)*, for the words "eighteen years", the words "twenty-one years" shall be substituted.
4.	1955	25	The Hindu Marriage Act, 1955	*(a)* in section 5, in clause *(iii)*, for the words "eighteen years", the words "twenty-one years" shall be substituted. *(b)* in section 13, in sub-section (2), in clause *(iv)*, for the words "eighteen years", the words "twenty-one years" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

The Prohibition of Child Marriage Act, 2006 was enacted to provide for the prohibition of solemnisation of child marriages and for matters connected therewith or incidental thereto. In today's world the women are progressing in every field. The early marriages, however, act as a hindrance not only in the progress of their career but also in their physical development. In order to provide for gender equality and opportunities of obtaining higher education, it has become necessary to increase the minimum age of marriage for the girls. Thus, it is proposed to amend the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 and other related Acts in their application to the State of Himachal Pradesh and increase the minimum age for marriage for girls to 21 years.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(DR. (COL.) DHANI RAM SHANDIL)
Minister-in-charge.

SHIMLA:
The.....2024.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

THE PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2024

A

BILL

to amend the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (Act No. 6 of 2007) in its application to the State of Himachal Pradesh.

(DR. (COL.) DHANI RAM SHANDIL)
Minister-in-Charge.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Secretary (Law).

SHIMLA:
The , 2024

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE ACTS LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

THE PROHIBITION OF CHILD MARRIAGE ACT, 2006

2. **Definitions.**—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "child" means a person who, if a male, has not completed twenty-one years of age, and if a female, has not completed eighteen years of age;

(b) "child marriage" means a marriage to which either of the contracting parties is a child;

(c) "contracting party", in relation to a marriage, means either of the parties whose marriage is or is about to be thereby solemnised;

(d) "Child Marriage Prohibition Officer" includes the Child Marriage Prohibition Officer appointed under sub-section (1) of section 16;

(e) "district court" means, in any area for which a Family Court established under section 3 of the Family Courts Act, 1984 (66 of 1984) exists, such Family Court, and in any area for which there is no Family Court but a city civil court exists, that court and in any other area, the principal civil court of original jurisdiction and includes any other civil court which may be specified by the State Government, by notification in the Official Gazette, as having jurisdiction in respect of the matters dealt with in this Act;

(f) "minor" means a person who, under the provisions of the Majority Act, 1875 (9 of 1875), is to be deemed not to have attained his majority.

3. **Child marriages to be voidable at the option of contracting party being a child.**—(1) Every child marriage, whether solemnised before or after the commencement of this Act, shall be voidable at the option of the contracting party who was a child at the time of the marriage:

Provided that a petition for annulling a child marriage by a decree of nullity may be filed in the district court only by a contracting party to the marriage who was a child at the time of the marriage.

(2) If at the time of filing a petition, the petitioner is a minor, the petition may be filed through his or her guardian or next friend along with the Child Marriage Prohibition Officer.

(3) The petition under this section may be filed at any time but before the child filing the petition completes two years of attaining majority.

(4) While granting a decree of nullity under this section, the district court shall make an order directing both the parties to the marriage and their parents or their guardians to return to the other party, his or her parents or guardian, as the case may be, the money, valuables, ornaments and other gifts received on the occasion of the marriage by them from the other side, or an amount equal to the value of such valuables, ornaments, other gifts and money:

Provided that no order under this section shall be passed unless the concerned parties have been given notices to appear before the district court and show cause why such order should not be passed.

THE INDIAN CHRISTIAN MARRIAGE ACT, 1872

60. On what conditions marriages of Indian Christians may be certified.—Every marriage between Indian Christians applying for a certificate, shall, without the preliminary notice required under Part III, be certified under this Part, if the following conditions be fulfilled, and not otherwise:—

(1) the age of the man intending to be a married shall not be under twenty-one years, and the age of the woman intending to be married shall not be under eighteen years;

THE PARSI MARRIAGE AND DIVORCE ACT, 1936

3. Requisites to validity of Parsi marriages.—(1) No marriage shall be valid if—

(c) in the case of any Parsi (whether such Parsi has changed his or her religion or domicile or not) who, if a male, has not completed twenty-one years of age, and if a female, has not completed eighteen years of age.

SCHEDULE II

(See section 6)

Certificate of Marriage

	Date and place of marriage.
	Names of the husband and wife.
	Condition at the time of marriage.
	Rank or profession.
	Age.
	Residence.
	Names of the fathers or guardians.
	Rank or profession.
	Signature of the officiating priest.
	Signatures of the contracting parties.
	Signatures of the fathers or guardians of the contracting parties under 21 years of age.
	Signatures of Witnesses.

THE SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

4. Conditions relating to solemnization of special marriages. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force relating to the solemnization of marriages, a marriage between any two persons may be solemnized under this Act, if at the time of the marriage the following conditions are fulfilled, namely:-

(c) the male has completed the age of twenty-one years and the female the age of eighteen years;

5. Conditions for a Hindu marriage.—A marriage may be solemnized between any two Hindus, if the following conditions are fulfilled, namely:—

(iii) the bridegroom has completed the age of twenty-one years and the bride, the age of eighteen years at the time of the marriage;

13. Divorce.—

(2) A wife may also present a petition for the dissolution of her marriage by a decree of divorce on the ground,—

(iv) that her marriage (whether consummated or not) was solemnized before she attained the age of fifteen years and she has repudiated the marriage after attaining that age but before attaining the age of eighteen years.

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला—2477—जुड/2024—22—2—2024—175.